अल्लाह ही दाता है

मुहम्मद अज़हर मदनी

हज़रत उमर बिन अल ख़त्ताब रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के सन्देष्टा मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जिस तरह भरोसा करने का हक़ है तो वह तुम्हें ऐसे ही रोज़ी देगा जिस तरह वह पक्षियों को रोज़ी देता है जो सुबह के वक़्त खाली पेट निकलते हैं और शाम के वक़्त पेट भर कर वापस आते हैं। (तिर्मिज़ी ४/५७३-२३४४, इब्ने माजा २/१३६४-४१६४, मुसनद अहमद १/२०५, ३३२)

रोज़ी का मामला बहुत अहम है। इन्सान अपनी पूरी ज़िन्दगी को इसी बिन्दु पर खतम कर देता है कि वह कहां से और कैसे रोज़ी हासिल करे? इसके लिये जितने तरीके और साधन होते हैं सब अपनाता है। एक मोमिन बन्दे का अक़ीदा यह होना चाहिए कि अल्लाह ही रोज़ी देने वाला है, उससे जितना मांगा जाए कम है और वह चाहे जितना दे उसके खज़ाने में राई के दाने के बराबर भी कमी नहीं हो सकती और रोज़ी जिसके सिलसिले में इन्सान इतना परेशान रहता है अपनी तमाम सृष्टि को रोज़ी पहुंचाने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है इसी लिये आप देखते हैं हर इन्सान बल्कि हर सृष्टि अल्लाह की दी हुई नेमतों से लाभान्वित हो रही है और उसे अल्लाह की तरफ से रोज़ी मिल रही है और रोज़ी देने के बारे में कोई भेद भाव नहीं है। मुस्लिम, गैर मुस्लिम, अच्छा बुरा, जानवर हो या इंसान, हर एक को रोज़ी मिल रही है और वहां से मिल रही है जहां से वह सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब इन्सान का ईमान कमज़ोर हो अल्लाह पर भरोसा न हो तो वह बहुत सारी चीज़ों से वंचित (महरूम) हो जाता है और दर-दर की ठोकरें खाता है और अगर यही भरोसा और विश्वास अल्लाह पर इस तरह हो जिस तरह उस का हक़ है तो वह ऐसे ही रोज़ी देगा जैसे खाली पेट बेहाल पक्षियों को देता है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''ज़मीन पर चलने फिरने वाले जितने जानदार हैं सब की रोज़ियां अल्लाह तआला पर है यानी वह जिम्मेदार है'' (सूरे हूद-६) ज़मीन पर चलने वाली हर सृष्टि इनसान हो या जिन्नात, चौपाए हों या पक्षी, छोटी हो या बड़ी, समुद्र में हो या खुश्की (थल) पर हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक़ खूराक देता है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है : ''आसमान में तुम्हारी रोज़ी है और वह भी जिस का तुम से वादा किया जाता है'' (सूरे ज़ारियात-आयत नंबर २२)

जिस रोज़ी रोज़गार के बारे में इतनी स्पष्ट तालीमात हैं और वह भी वादा की शक्ल में तो ऐसी सूरत में हमारे ईमान में और ज़्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए और अल्लाह पर भरोसा और विश्वास होना चाहिए और रोज़ी के जो हलाल संसाधन हैं जिस की तरफ इस्लाम ने हमारा मार्गदर्शन किया है उनको अपनाएं और इन संसाधनों को अपना कर खूब मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि वह हम लोगों को हलाल रोज़ी कमाने की क्षमता दे, ईमान और विश्वास पर बाक़ी रखे और जब हमारा ख़ातमा हो तो इस आस्था के साथ हो कि अल्लाह ही दाता (देने वाला) है।

मासिक

इसलाहे समाज

अप्रैल 2022 वर्ष 33 अंक 04

रमज़ानुल मुबारक 1443 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

मुहम्मद ताहिर

❑	वार्षिक राशि	100 रुपये
❑	प्रति कापी	10 रुपये

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)
4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद
दिल्ली-110006
फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613
RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद इरफान शाकिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से एम.एस. प्रिन्टर्स, A-145 गली न० 8 चौहान बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-53 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1.	अल्लाह ही दाता है	2
2.	मध्यमार्ग अपनाएं	4
3.	समृद्ध जीवन गुज़ारने का तरीक़ा	6
4.	अफ़वाह से बचने का तरीक़ा	8
5.	१६ वा आल इंडिया मुसाबक़ा	10
6.	सद-क़-ए-फित्र कब और कैसे अदा करें	11
7.	ईद के दिन	13
8.	ज़कात	14
9.	शरीअत व कानून का पालन करें	16
10.	मुसलमानों की खूबियाँ	17
11.	शिक्षा की अहमियत	19
12.	एलाने दाख़िला	20
13.	प्यारे रसूल हज़रत मुहम्मद स०	21
14.	कार्य समिति का सत्र	22
13.	जैसी संगत वैसा फल	25
14.	अपील	27
15.	अहले हदीस मंज़िल (विज्ञापन)	28

ईमेल:-

Jaridahtarjuman@gmail.com

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है

वेब साइट:- **www.ahlehadees.org**

मध्यमार्ग अपनाएं

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी
अध्यक्ष, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

गरीबों और ज़रूरतमन्दों पर खर्च करना अत्यंत प्रशंसनीय कार्य है और हर हाल में अपेक्षित और लाभकारी है लेकिन अगर खर्च में संतुलन और मध्यमार्ग न अपनाया जाये तो मायूब और निंदित बन जाते हैं जैसा कि कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''ऐ आदम की औलाद! तुम मस्जिद की हर हाजिरी के वक़्त अपना लिबास पहन लिया करो और खूब खाओ और पियो और हद से मत निकलो। बेशक अल्लाह हद से निकल जाने वालों को पसन्द नहीं करता'' (सूरे आराफ-३१)

कुरआन में दूसरी जगह अल्लाह तआला ने फरमायाः

''और रिश्तेदारों का और मिस्कीनों का और मुसाफिरों का हक अदा करते रहो और इसराफ, बेजा खर्च से बचो, बेजा खर्च करने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा ही नाशुकरा है'' (सूरे बनी इस्राईल २६-२७)

इसी तरह माल खर्च करने में बखीली और कंजूसी भी अत्यंत निन्दित हैं जैसा कि अल्लाह तआला ने पवित्र कुरआन में फरमायाः

''अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ न रख और न उसे बिलकुल ही खोल दे कि फिर मलामत किया हुआ दरमांदह बैठ जाए'' (सूरे बनी इस्राईल-२९)

इस सिलसिले में अधिकता से कुरआन की आयतें और हदीसें हैं। इन सब को जेहन और दिमाग़ में रखना और इनसे संबन्ध बनाए रखना अर्थात इस पर अमल करना भी एक लाभदायक और पुण्य-कार्य है।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः संतुलन अपनाने वाला फ़क्र व फ़ाक़ा (भूख और मोहताजी) का श्किार नहीं होगा'' (मुस्नद अहमद)

इसी तरह अल्लाह के रसूल पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

खर्च में संतुलन और मध्यमार्ग अपनाने से आधी आर्थिक समस्या हल हो जाती है। (बैहक़ी)

रमज़ान का महीना हम से और ज़्यादा इफरात व तफरीत (अधिक्य एवं न्यूनता, अतिशयोक्ति) से बचने की माँग करता है और यह बरकत वाला महीना हर मामले में संतुलन, मध्यमार्ग और नेक कामों को अच्छे ढंग से अदा करने का बेहतरीन वक़्त है यह महीना हम सभी को सब्र, शुभचिंतन, हमदर्दी और आपसी सहयोग का पाठ देता है। रमज़ान के पूरे दिन मुसलमानों के लिये बरकत व भलाई के हैं जिस में हर रोज़ेदार की कई पहलुओं से आजमाइश और परीक्षा होती है। यह जहाँ नेक काम और हर तरह की इबादत में आगे-आगे रहने का हम से मुतालबा करता है वहीं अतिशयोक्ति से बचने का बेहतरीन अवसर है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः ''खूब खाओ और पियो और हद से मत निकलो बेशक अल्लाह हद से निकल जाने वाले को पसन्द नहीं करता'' रमज़ान

जो खर्च करने का महीना है वहीं भूखा और प्यासा रह करके दूसरों की खबरगीरी और भूख को महसूस करने का इससे तक़ाज़ा भी करता है लेकिन दुर्भाग्य से बहुत से लोग इस महीने में खाने पीने के तरह तरह के सामान स्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा फुजूल खर्ची करते हैं जब कि बहुत से लोग रात की रोटी को तरसते हैं और इफ्तार और भूख मिटाने की भी सकत नहीं रखते यह हमारे समाज की बहुत बड़ी ट्रेजडी है। जहाँ यह पवित्र कुरआन और उसकी तिलावत, इस पर अमल और गौर व फिक्र का महीना बनाया गया है वहीं एक ही रात में लोग तरावीह की नमाज़ और कुरआन खतम का एक अजीब प्रदर्शन पेश करते हैं और फिर अतिशयोक्ति का यह आलम होता है कि वह इसके बाद स्वयं को कुरआन की तिलावत और मस्जिदों से वंचित कर लेते हैं इसके अलावा अतिशयोक्ति की एक स्थिति इस महीने में यह देखने में आती है कि शुरू की चन्द रातों में नमाजियों की भीड़ की वजह से जगह नहीं मिलती लेकिन चन्द ही दिनों बाद फिर मस्जिदें वीरान हो जाती हैं इसी तरह कुरआन पढ़ने की अजीब एवं आश्चर्यजनक शकलें देखने और सुनने को मिलती हैं कि स्वयं पढ़ने वाला क्या पढ़ रहा है और सुनने वाले भी कुछ समझने और सुनने से कासिर रह जाते हैं। इस महीने में इस प्रकार के और भी बहुत से अतिश्योक्ति पर आधारित मामलात और हालात मुस्लिम समाज में दिखाई देते हैं जो बहुत अफसोसनाक हैं।

अल्लाह तआला हम सबको इस महीने के जरिये आजमाता है कि कौन बन्दा उसके बताए गये अहकाम और आदेशों का पालन करता है और कौन है जो इन कीमती दिनों को गफलत और कोताही में गंवा देता है इस लिये जरूरी है कि हम रमजान की बरकतों को हासिल करने की कोशिश करें फुजूल कामों, फालतू खर्च और दिखावे से बचें, और इस महीने के सिलसिले में जो फज़ाइल बयान किये गये हैं उनके अनुसार कुरआन की तिलावत, नफिल नमाज़ों का एहतमाम, मसनून दुआओं का एहतमाम, इफ्तार, सेहरी शबे कद्र और अन्य इबादतों को अंजाम दें।

रोज़ा हमें एक दूसरे के दुख दर्द को समझने का सन्देश देता है। आज विश्व स्तर पर इन्सान की ज़िन्दगी की जो स्थिति है वह किसी से गुप्त नहीं है, बेरोज़गारी और संसाधन की क़िल्लत ने इन्सान को और ज़्यादा बेबस और मोहताज बना दिया है उसके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं इन हालात में समृद्ध लोगों को चाहिए कि वह जरूरतमन्दों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, ईद के अवसर पर यतीमों, बेवाओं का विशेष ध्यान रखें, इस वक़्त मदर्से और जमीअतें हमारे विशेष ध्यान के पात्र हैं। पिछले दो तीन वर्षों से बड़े अकहनीय दौर से गुज़र रहे हैं, मालदार और खुशहाल लोग गरीबों और मोहताजों की मदद के साथ इन मदर्सों और जमीअतों का भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि दीन व मिल्लत के यह केन्द्र अपनी ज़िम्मेदारी निभा सकें। अल्लाह तआला हम सब को अपने शरण एवं संरक्षण में रखे, रमज़ान की बरकतों से माला माल फरमाये और ईद की खुशियों को सबकी ज़िन्दगी में बार-बार लाये और उसके सौभाग्य और खुशियों से लाभान्वित करे।

समृद्ध जीवन गुज़ारने का तरीक़ा

मुहम्मद मुहिब्बुल्लाह नदवी

कठिनाई, परेशानी, दुखदर्द, रंज व ग़म मानव जीवन का भाग है और खास तौर से मुसलमान की आजमाइश एवं परीक्षा कुछ ज़्यादा ही होती है, यह अल्लाह की सुन्नत है। कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''अलिफ लाम मीम! क्या लोगों ने यह गुमान कर रखा है कि उनके सिर्फ इस दावे पर कि हम ईमान लाये हैं, हम उन्हें बगैर आजमाए ही छोड़ देंगे? उनसे अगलों को भी हम ने खूब जांचा। निःसन्देह अल्लाह उन्हें भी जान लेगा जो सच कहते हैं और उन्हें भी मालूम कर लेगा जो झूठे हैं। क्या जो लोग बुराइयाँ कर रहे हैं उन्होंने यह समझ रखा है कि वह हमारे नियंत्रण से बाहर हो जायेंगे। यह लोग कैसी बुरी तज़वीजें कर रहे हैं।'' (सूरे अन्कबूत-१-४)

कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

'' क्या तुम यह गुमान किये बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे हांलाँकि अब तक तुम पर वह हालात नहीं आए जो तुम से अगले लोगों पर आये थे उन्हें बीमारियाँ और मुसीबतें पहुँचीं और वह यहाँ तक झिंझोड़े गये कि रसूल और उसके साथ के ईमान लाने वाले कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी? सुन रखो कि अल्लाह की मदद करीब ही है।'' (सूरे बक़रा-२१४)

मुसलमान के लिये कठिनाइयों का आना भलाई का सबब बन जाता है। पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मोमिन (मुसलमान) का मामला अजीब है, उसका हर मामला भलाई का है और यह मोमिन के सिवा किसी और को नसीब नहीं, उसे खुश्हाली मिले तो शुक्रगुज़ारी करता है और यह उसके लिये अच्छा होता है और अगर उसे कोई नुक्सान पहुंचे, तो सब्र करता है यह भी उसके लिये भलाई होती है'' (सहीह मुस्लिम)

इस हदीस से यह स्पष्ट होता है कि कठिनाइयाँ और दुख मोमिन के लिये भलाई का सबब बन जाते हैं इसलिये जो अल्लाह के फैसले से खुश रहा, उसके लिये भलाई ही भलाई है और जिस ने धैर्य छोड़ दिया वह घाटे में हो गा और निराशा के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होगा।

अबू हुरैरह और अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहो तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मोमिन को जो भी दुख, घुटन, रंज व गम और पीड़ा पहुंचता है यहाँ तक कि अगर उसको काँटा लग जाए तो अल्लाह तआला इसके बदले में ज़रूर उसकी गलतियों को मआफ कर देता है। (सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम)

इस हदीस में यह खबर दी गई है कि मुसलमानों को जो भी परेशानी दुख और रंज व गम होगा अल्लाह तआला इस के बदले में बन्दे के गुनाहों को मआफ कर देगा और अल्लाह के नजदीक चूंकि दुनिया

मोमिनों के लिये शाश्वत खुशी वाली जगह नहीं है इसलिये अल्लाह तआला उन्हें इस कमतर दुनिया से निकाल कर जन्नत में ऊंचा स्थान देना चाहता है इसलिये मोमिनों पर दुख, बीमारी आती है और परीक्षा से दोचार होता है ताकि वह दुनिया से बेलगाव का इज़हार करे और शाश्वत सुख जन्नत को समझे।

आज दुनिया परेशान है, इन्सान परेशान हैं वह चैन व सुकून और खुश्हाल जीवन गुज़ारना चाहते हैं, बड़ा सा महल है फिर भी सुकून नहीं, माल व दौलत, रिश्तेनाते दारों की कमी नहीं, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, अच्छी सर्विस है फिर भी उनकी जिन्दगी में सुकून नहीं, नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, दौलत की रेल पेल ही को खुश्हाली का एलाज बताया जाता है। लेकिन हमारे ख्याल में खुश्हाल जीवन गुज़ारने का एक सबब यह भी हो सकता है कि दुनिया के हर मसले में आप न रूकें, दुनिया में बहुत सारे मसाइल (समस्याएं) ऐसी भी होती हैं जिन से ऐसे ही गुज़र जाना है कि वह घटित ही नहीं हुई हैं। हर आपत्ति और हर आलोचना पर आप रूकेंगे तो सिर्फ समस्या ही समस्या पैदा होगी, आप इसे ख्याल में न लाइये परेशान न हों, आप अपने मिशन में लगे रहिये।

लालच, हवस ''और चाहिए और चाहिए'' की सोच को खतम कीजिए, संतोष, कम पर सब्र और कमखर्ची को अपनाइये।

हर व्यक्ति हर हाल में खुश्हाली की तलाश में है, चाहे वह किसी भी समुदाय का या धर्म का मानने वाला हो। कुरआन में अल्लाह तआला ने मोमिनों के बारे में फरमायाः

जो लोग ईमान रखते हैं और अपने ईमान को शिर्क के साथ मखलूत नहीं करते ऐसों ही के लिये अम्न है और वही सत्य पथ पर चल रहे हैं।'' (सूरे अंआम-८२)

कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''जो शख्स नेक अमल करे मर्द हो या औरत लेकिन ईमान वाला हो तो हम उसे निसन्देह बेहतर जिन्दगी देंगे और उनके नेक आमाल का बेहतर बदला भी उन्हें ज़रूर देंगे।'' (सूरे नह्ल-९७)

इब्ने तैमिया रह० ने फरमायाः

''अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना ही असल सफलता और सौभाग्य है। (मजमूअ् फतावा-२०/१९३ लेखक शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रह०)

इसी तरह इब्ने कसीर रह० फला-नुह्यियन्नहू हयातन तैइबतन'' की व्याख्या करते हुय लिखते हैं कि सुगम जीवन अर्थात इस में हर प्रकार की राहत व आराम शामिल है।'' (तफसीर इब्ने कसीर २/६०८)

इसी तरह इब्नुल क़ैइम अल जौज़ी रह० फरमाते हैं कि अगर इन्सान का अक़ीदा पक्का हो, तौहीद मजबूत हो तो उसके लिये हर तरह की सफलता और सुख का दरवाज़ा खुल जाएगा और वह हर एतबार सुखमय जीवन गुज़ारेगा'' (ज़ादुल मआद ४/२०२)

लेख का सारांश यह है कि इन्सान की पहली और आखिरी कोशिश यह होती है कि उसकी ज़िन्दगी में खुश्हाली हो, परेशानी और दुख उसके जीवन का हिस्सा न बने।

अफ़वाह से बचने का तरीक़ा

मौलाना अज़ीज़ अहमद मदनी

अफवाह फैलाना एक निंदित कार्य है अफवाह फैलाने में गीबत, झूठे आरोप, बदगुमानी, हसद, ख्यानत, कपटाचार, अपमान आदि बुराइयों का सहारा लेना पड़ता है यह सब अफवाह फैलाने का कारण बनते हैं यह किसी भी समाज को घुन की तरह चाट कर खतम कर देते हैं यही वजह है कि इस्लाम ने इन तमाम दुराचरण पर अंकुश लगाया है और एक दूसरे के बारे में अच्छा विचार रखने और सदव्यवहार करने की शिक्षा दी है। किसी की बुराई करने, झूठे आरोप लगाने, गलत विचार रखने पर रोक लगा दी है और इसे महा पाप क़रार दिया है जैसा कि कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''ऐ ईमान वालो! बहुत बदगुमानियों से बचो यकीन मानो कि बाज़ बदगुमानियाँ पाप हैं और भेद न टटोला करो और न तुम में से कोई किसी की गीबत करे।'' (सूरे-हुजूरात-१२)

इसी तरह आपसी मतभेद, लड़ाई झगड़े, विभिन्न वर्गों और समुदाय में नफरत व दूरी की बुनियाद झूठी खबरें, अफवाहें और अप्रमाणित बातें होती हैं। जो समाज में झगड़े का सबब बन जाती हैं इसी लिये पवित्र कुरआन में मतभेदों के सभी स्रोतों को बन्द करने और बिना छान बीन और शोध व सुबूत के किसी बात और खबर को कुबूल न करने का आदेश एवं उपदेश दिया है ताकि बाद में पछतातापा का सामना न करना पड़े। पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः ऐ मुसलमानो! अगर तुम्हें कोई फासिक़ खबर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह तहकीक़ कर लिया करो ऐसा न हो कि अज्ञानता में किसी को दुख पहुंचा दो फिर अपने किये पर पश्चाताप उठाओ। (सूरे हुजूरात-६)

इस आयत में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को बताया गया है जिस का व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तर पर अत्यंत महत्व है। हर व्यक्ति, संस्था और सरकार की यह ज़िम्मेदारी है कि उसके पास जो भी खबर या सूचना आए खास तौर से दुराचारी, पापी और फसादी किस्म के लोगों की तरफ से तो पहले इसकी छानबीन की जाए ताकि गलत फहमी में किसी के ख़िलाफ कोई कार्रवाई न हो। (अह्सनुल बयान-पृष्ठ-१४५)

इसी प्रकार समाज में बेचैनी, भय और बेइतमिनानी का बड़ा सबब अफवाह है। अफ़्वाह उड़ाना, किसी बात को बिना छानबीन और बिना सोचे समझे प्रसारित करना कुरआन की निगाह में अप्रिय कार्य है यह कपटाचारी और लापरवाह लोगों का तरीक़ा है। पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः जहाँ उन्हें कोई खबर अम्न की या भय की मिली उन्होंने इसे मश्हूर करना शुरु कर दिया हालांकि अगर यह लोग इसे रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के और अपने में से ऐसी बातों की

तह तक पहुंचने वालों के हवाले कर देते, तो इसकी हक़ीक़त वह लोग मालूम कर लेते जो परिणाम निकालते हैं और अगर अल्लाह तआला का करूणा और उसकी दया तुम पर न होती तो गिने चुने चन्द के अलावा तुम सब शैतान के पैरोकार बन जाते।'' (सूरे निसा-८२)

कुरआन की इस आयत में यह शिक्षा दी गई है कि अगर खबर सुन कर खुद से इसको फैलाने के बजाये इसे रसूल (पैगम्बर) सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम या रसूल के जिम्मेदार साथियों तक पहुंचा देते तो वह इस पर विचार विमर्श करके पहले यह फैसला करते कि यह खबर सहीह है या गलत। अगर सहीह है तो इसको प्रसारित करना चाहिये या नहीं, मुसलमानों का इस खबर को जानना लाभकारी है या न जानना लाभकारी है। खबर प्रसारित करने योग्य होती तो प्रसारित करते वरना रोक देते। यह सिद्धांत साधारण हालात में बड़े महत्वपूर्ण और अत्यंत हितकारी हैं लेकिन खास हालात में तो इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है अतः सामूहिक जीवन में इस निर्देश पर अमल करना ज़रूरी है वरना सामूहिक जीवन को असीमित नुकसानात पहुंच सकते हैं जिस का निरीक्षण हम अपने सामूहिक और संगठनात्मक जीवन में कर रहे हैं और पक्षतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होता।

अफवाहों पर नियंत्रण पाने के लिये ज़रूरी है कि खबरों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की जाए,

२. बिना छान बीन के खबरों को फारवर्ड न करना,

३. अफवाहों पर ध्यान न देना,

४. अफवाह पर खामूश रहना,

५. अफवाह पर गंभीरता और संतुलन बाकी रखना

६. अफवाहों का खण्डन करना

७. अफवाहा के संसाधन और माध्यम पर रोक लगाना, अफवाहों से बचने के बेहतरीन उपाय हैं।

इस्लाम धर्म ने अफवाह और निराधार खबरों के नुकसानात से बचने के लिये कुछ सिद्धांत बताए हैं अफवाहों के नुक़सानात से बचने के लिये कुछ सिद्धांत बताए हैं जिस पर अमल और उनका पालन करके अफवाहों के नुकसानात से बचा जा सकता है।

पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

''यह बहुत बड़ी ख्यानत है कि तुम अपने भाई से कोई बात कहो और वह तुम्हें सच्चा समझे हालाँकि तुम उससे झूठ बोल रहे हो। (अबू दाऊद-४९७१)

अफवाह आम तौर पर गीबत पर आधारित होती है और नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के फरमान के अनुसार गीबत यह है कि अपने भाई की ऐसी बात का उल्लेख दूसरों से करना जिसे वह नापसन्द करे और अगर वह बातें इसमें न पायी जायें तो उस पर बोहतान (झूठा आरोप) है। यह दोनों आदतें शरीअत अर्थात इस्लामी कानून की निगाह में निन्दित और बुरी है।

अफवाह का आधार आम तौर पर अनुमान और अन्दाज़े पर होता है। एक मुसलमान के लिये यह अत्यंत ज़रूरी है कि वह किसी बात या खबर को उसी वक़्त बयान करे जब तक उसके सहीह होने की पुष्टि न हो जाए।

ग़लत और झूठी बातों को नक़ल करना, उसको फैलाना जिस के झूठ

होने का यकीन हो नाजायज और अन्याय है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

''आदमी के पापी होने के लिये यही काफी है कि वह हर सुनी सुनाई बातों को बयान करता फिरे'' (सुनन अबू दाऊद ४९९२)

अविश्वसनीय बातों और अफवाहों को बयान करने के बजाये इस पर खामूशी अपनाई जाये, इसकी उपेक्षा करके अफवाह पर रोक लगाने की कोशिश की जाए। इस तरह यह अफवाह स्वयं खतम हो जाएगी।

अपमान और बदनामी की बातें, उसकी जो भी सूरतें हों, उन्हें बयान करने से बचा जाए।

किसी खबर में विरोधाभास हो तो ऐसी सूरत में उसके असल स्रोत को जानने की कोशिश करनी चाहिए ताकि सहीह मालूमात का पता लगाया जा सके।

इस समय हम लोगों की यही शान होनी चाहिये इन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण और पालन करते हुए अफवाहों के नुकसानात से बचा जा सकता है।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस के ज़ेरे एहतमाम

19वाँ आल इंडिया मुसाबक़ा

हिफ्ज़ व तजवीद और

तफसीर कुरआन करीम

दिनांक 11-12 जून 2022

शनिवार-रविवार को अहले हदीस

कम्लैक्स, डी-254, ओखला, नई

दिल्ली-25 में आयोजित होगा।

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 6 जून 2022 है

एक उम्मीदवार केवल एक ही

श्रेणी में भाग ले सकता है।

फार्म मर्कज़ी जमीअत की वेब साइट

www.ahlehadees.org से डाउन लोड किया

जा सकता है।

ज़रूरी जानकारी और फार्म हासिल करने लिये के

लिये सम्पर्क करें।

मुसाबका हिफ्ज व तजवीद व तफसीरे कुरआन कमेटी

011-23273407 Fax 011-23246613

Email.

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

रमज़ानुल मुबारक और ईदुल फित्र के अवसर पर विशेष आयोजन

सद-क़-ए फित्र कब और कैसे अदा करें

शैखुल हदीस मौलाना उबैदुल्लाह रहमानी रह०

सदक-ए-फित्र के बारे में रसूल स०अ०व० ने फरमायाः रमज़ान के रोज़े आसमान और ज़मीन के बीच लटके रहते हैं और जब तक सदक़-ए-फित्र न अदा किया जाये, क़ुबूल नहीं होते हैं।

हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल स०अ०व० ने सद-कए फित्र फर्ज़ किया है रोजेदार के रोजे और बुरी बातों (चीजों) से पाक और साफ करने के लिये। (अबूदाऊद-इब्ने माजा)

सदकए फित्र के फर्ज होने के लिये यह जरूरी नहीं है कि उसके पास ज़कात का निसाब हो बल्कि जिस तरह एक मालदार पर फर्ज़ है उसी तरह एक गरीब पर भी फर्ज़ है। जिसके पास ईद के दिन अपनी और अपने परिवार की खूराक से इतना ज्यादा हो कि हर एक की तरफ से एक साअ् (वज़न करने का एक यंत्र) दे सके बल्कि गरीबों को दूसरों के दिये हुये गल्ला से सद-कए फित्र अदा करना चाहिये।

नबी स०अ०व० ने फरमाया सदकए फित्र के जरिये अल्लाह मालदार को पाक साफ कर देता है और गरीब को उसके साथ जितना उसने दिया उससे ज्यादा उसको वापस लौटाता है।

मालूम हुआ कि सदक-ए-फित्र अमीर गरीब सब पर फर्ज़ है। हज़रत इब्ने उमर रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी स०अ०व० ने सद-क-ए फित्र एक साअ खुजूर एक साअ जौ, गुलाम आजाद मर्द औरत नाबालिग बालिग मुसलमान पर फर्ज़ कर दिया है मगर बीवी बच्चों गुलामों का सदकए फित्र घर के मालिक को देना होगा। (बुखारी-मुस्लिम)

हज़रत इब्ने उमर फरमाते हैं कि नबी स०अ०व० बालिग नाबालिग गुलाम के नफक़ा और खर्च का जो जिम्मेदार हो उसको उनकी तरफ से सदकए फित्र अदा करने का हुक्म फरमाया।

अगर बीवी बच्चे मकान पर नहीं हैं बल्कि सफर पर हों तो उनका भी सद-क़ा फित्र अदा करना होगा अगर किसी नाबालिग लड़की से निकाह किया है और नाबालिग होने की वजह से रूखसती न होने की वजह से अपने माता पिता वालिदैन के यहां है तो उसका सद-क़ए फित्र उसके बाप को अदा करना होगा और वह औरत जो अपने शौहर (पति) की इजाज़त के बगैर नाफरमानी करके अपने माँ बाप के यहां चली जाये तो उसका सदकए फित्र उसके शौहर पर फर्ज़ नहीं है।

सद-क-ए फित्र उन्हीं लोगों पर फर्ज नहीं जिन पर रोज़े फर्ज

हैं चाहे बालिग हों या नाबालिग मर्द हो या औरत जैसा कि बुखारी मुस्लिम की रिवायतों से मालूम हो चुका है। आप स०अ०व० ने सद-क-ए फित्र को मिस्कीनों का खाना करार दिया इसलिये सद-क-ए फित्र जिस तरह रोजेदार को बुरी बातों से दूर रखने की हैसियत से फर्ज़ किया गया इसी तरह मिस्कीनों (गरीबों) की खूराक होने की हैसियत से भी फर्ज किया गया है इसलिये जो बच्चा ईद की सुबह को पैदा हो जाये उस पर सद-क-ए फित्र फर्ज है।

सद-क-ए फित्र ईद की सुबह को ईद की नमाज़ से पहले अदा करना चाहिये अगर ईद की नमाज़ के बाद अदा किया गया तो सद-क़ए फित्र अदा नहीं हो गा और सदकए फित्र का सवाब नहीं मिलेगा केवल सद्का और खैरात के हुक्म में हो जायेगा।

जिसने सद-क-ए फित्र ईद की नमाज़ से पहले अदा किया तो वह सद-क-ए फित्र मकबूल होगा और जिसने नमाज़ के बाद अदा किया तो वह खैरात के हुक्म में हो जायेगा। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हज़रत इब्ने उमर फरमाते हैं कि नबी स०अ०व० ने सद-क-ए फित्र को ईदगाह जाने से पहले अदा करने का हुक्म दिया।

सद-क-ए फित्र उस गल्ले से देना चाहिये जो आम तौर पर वहां के लोगों की खूराक हो अगर आम तौर पर चावल खाया जाता है तो चावल देना चाहिये और बिना अन्तर के हर जिन्स से एक साअ हिजाज़ी देना चाहिये लेकिन वह जिन्स घटिया नहीं होनी चाहिये।

नबी स०अ०व० और सहाबए किराम से सद-क-ए फित्र में कीमत देना साबित नहीं है इसलिये बिना उज्र (वजह) के कीमत नहीं देनी चाहिये बल्कि आम तौर पर खाये जाने वाले गल्ले ही से सद-क-ए फित्र अदा करना चाहिये अगर जरूरत के अनुसार गल्ला न मिल सके तो बाज़ार के काम भाव के अनुसार फितरा में कीमत निकाली जा सकती है।

इस्लाहे समाज
खरीदारी फार्म

पत्रिका को घर पर मंगवाने के लिये अपने पते में निम्न विवरण ज़रूर लिखें।

नाम.....

पिता का नाम.....

स्थान.....

पोस्ट आफिस.....

वाया.....

तहसील.....

जिला.....

पिन कोड.....

राज्य का नाम.....

मोबाइल नम्बर.....

अपना मनी आर्डर इस पते पर भेजें।

आफिस का पताःअहले हदीस **मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6**

बैंक और एकाउन्ट का नामः

Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

A/c No. 629201058685 (ICICI Bank) Chani Chowk, Delhi-6

RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292

नोटः-बैंक द्वारा रक़म भेजने से पहले आफिस को सूचित करें।

ईद के दिन

इर्फानुल्लाह

ईद के दिन खूबसूरत कपड़ा पहनना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ईदगाह जाते वक्त सबसे अच्छा कपड़ा पहनते-कभी आप दो हरे (सब्ज़) रंग की दो चादरें और कभी लाल रंग की चादर इस्तेमाल करते थे। (जादुल मआद १/१५०) हाफिज़ इब्ने हजर बयान करते हैं कि इब्ने अबिद् दुनिया और बैहक़ी ने सहीह सनद से इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम से बयान किया है कि वह दोनों ईदों में अपना सबसे अच्छा कपड़ा पहनते थे। (फतहुल बारी २/४३६)

हज़रत हसन फरमाते हैं कि हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ईद के दिन अच्छी खुश्बू इस्तेमाल करें। (तलख़ीसुल हबीर २/८१)

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहो तआला अन्हो फरमाते हैं कि शव्वाल का चांद देख कर तकबीर शुरू करो और ईद से फारिग होकर बन्द करो। (तफ्सीर तबरी १५७) इमाम जोहरी रह० बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ईदुल फित्र के दिन तकबीर कहते हुये निकलते यहां तक कि ईद गाह पहुंच जाते फिर जब आप ईदुल फित्र की नमाज़ पढ़ चुके होते तो तक्बीर कह कर बन्द कर देते। (अलसहीहा १७१)

ईदुल फित्र के रोज़ नमाज़ को आने से पहले और ईदुल अज़हा के रोज़ नमाज़ से वापसी के बाद खाना मुस्तहब है। अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने बाप से बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ईदुल फित्र के दिन कुछ खाये बगैर नहीं निकलते थे और ईदुल अज़हा में नहीं खाते थे यहां तक कि ईद की नमाज़ अदा कर लेते। (तिर्मिज़ी मुस्तदरक हाकिम १/६४१, शर्हुस्सुन्नह ४/३०५)

हज़रत अली फरमाते हैं कि सुन्नत यह है कि ईदगाह की तरफ पैदल जाया जाये। (तिर्मिज़ी २/४१०, इब्ने माजा १२६६ बैहक़ी ३/२८१)

हज़रत जाबिर रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं ईद के दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जाते और वापस आते वक्त रास्ता बदल देते थे। (बुखारी २५११)

ईद की नमाज़ में अजान और इकामत नहीं कही जायेगी। हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ईद की नमाज़ बगैर अज़ान और इकामत के पढ़ी है। (मुस्लिम २६०)

इसी तरह से इब्ने अब्बास और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहो अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ के लिए ईदगाह गये आपने न नमाज़ से पहले कोई नमाज़ पढ़ी और न ईद की नमाज़ के बाद। (बुखारी, १३१/१)

अल्लामा इब्ने कैईम रह० कहते हैं कि आप के सहाबा ईदगाह पहुंचने के बाद ईद की नमाज़ से पहले या उसके बाद कोई नमाज़ नहीं पढ़ते थे। (जादुल मआद)

(जरीदा तर्जुमान से)

ज़कात

प्रो० डा० ज़ियाउर्रहमान आज़मी रह०

ज़कात अरबी भाषा का शब्द है। यह एक विशेष प्रकार के दान का नाम है। इसमें बढ़ोतरी और पवित्र करने के दोनों अर्थ निहित हैं अर्थात् 'ज़कात' देने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। परन्तु हम इसका एहसास नहीं कर पाते। इसी प्रकार 'ज़कात' देने से धन शुद्ध करने का एक मात्र साधन केवल 'ज़कात' है। इसी की ओर एक सहीह हदीस में संकेत करते हुए बताया गया है किः

''धन धनवानों से लेकर निर्धनों में वितरित किया जाएगा।'' (बुख़ारी, १३६५ तथा मुस्लिम,२६)

कुरआन में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दियाः

''ऐ नबी! तुम उनके मालों में से 'ज़कात' लेकर उन्हें शुद्ध एवं पवित्र कर दो, तथा उनके लिए दुआ (प्रार्थना) करो। निस्सन्देह आपकी दुआ उनके लिए सर्वथा परितोष का साधन है''। (सूरा-६, अत-तौबा, आयत-१०३)

अब जबकि इस बात का ज्ञान हो गया कि हमारे धनों में निर्धनों का धन भी सम्मिलित है और हमारा धन ज़कात दिए बिना शुद्ध नहीं हो सकता, तो 'ज़कात' न देने वालों के लिए मम्भीर यातना से डराया गया है। जैसा कि सहीह हदीस में आया है कि ज़कात न देने वाले की पेशानी को गर्म सलाख़ से दाग़ा जाएगा और वे पशु जो ज़कात में निकाले जाने चाहिए थे परन्तु नहीं निकाले गए, प्रलय के दिन अपने खुरों से उसे कुचलेंगे तथा अपने सींगों से उसे घायल करेंगे और ऐसा बार-बार किया जाएगा, यहां तक कि अल्लाह इस बात का निर्णय कर दे कि इनको स्वर्ग में जाना है या नरक में। (देखिए सहीह मुस्लिम, ६८७)

ज़कात चार प्रकार के धनों पर अनिवार्य है, परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि उनपर एक वर्ष बीत गया हो।

१. सोना-चांदी तथा करेंसी (मुद्रा)

२. खेत की पैदावार

३. व्यापार का सामान

४. व्यापार के लिए पाले गऐ पशु जैसे ऊंट, गाय, बकरी इत्यादि।

ज़कात के लिए कम से कम ध ान की अलग-अलग मात्रा (निसाब) निश्चित की गई है। जैसे सोने की मात्रा (निसाब) साढ़े सात तोला तथा चांदी की साढ़े बावन तोला, करेंसी नोट जो सोने या चांदी के मूल्य के बराबर हों तो उसपर ढाई प्रतिशत ज़कात अनिवार्य होगी। और अगर यह सोना-चांदी या करेंसी नोट इस मात्रा (निसाब) से कम हों तो उन पर ज़कात अनिवार्य नहीं।

खेत की पैदावार दो प्रकार की होती हैः एक वह जो वर्षा के पानी से पैदा हो। इसमें पैदावार का दसवां हिस्सा अर्थात दस प्रतिशत ज़कात बनती है, दूसरी वह जिसके लिए सिंचाई का प्रबन्ध किया जाता है। इसमें पैदावार का बीसवाँ हिस्सा अर्थात पांच प्रतिशत ज़कात बनती है। पैदावार पर निकाली जाने वाली ज़कात को उश्र भी कहते हैं।

व्यापारिक सामान का मूल्य लगाया जाएगा और मूल्य पर ढाई प्रतिशत ज़कात दी जाएगी।

पुशओं की ज़कात का परिणाम

अलग है, जिसका विवरण हदीस की किताबों में पाया जाता है। ज़कात का हिसाब लगाने का सरल तरीका यह है कि वर्ष का कोई मास निर्धारित कर लिया जाए और फिर प्रतिवर्ष उस माल में देखा जाए कि उसके पास कितनी सम्पत्ति है। और फिर उसके हिसाब से ढाई प्रतिशत ज़कात निकाल दी जाए।

अपने प्रयोग की वस्तुओं पर ज़कात नहीं है। जैसे घर, सवारी, पहनने के कपड़े आदि। इसी प्रकार जमीन (प्लाट) वगैरह। परन्तु बेचने की दशा में जब धन पर एक वर्ष बीत जाए तो प्रयोग के पचशत जो ध ान बचे उस पर ज़कात दी जाएगी।

सोने-चांदी के प्रयोग में आने वाले गहनों पर ज़कात के विषय में कुछ विद्वानों में मतभेद है। परन्तु सहीह यही है कि इनपर भी ज़कात है।

ज़कात कहां ख़र्च की जाए?

कुरआन ने ज़कात को आठ प्रकार के लोगों में खर्च करने का हुक्म दिया है।

''सदके तो वास्तव में मुहताजों और निर्धनों के लिए हैं। और उन कर्मचारियों के लिए जो ज़कात इकटठा करने पर लगे हों। और उनके लिए जिनके दिल परचाए और आकृष्ट किए जा रहे हों। और गुलामों को आज़ाद कराने के लिए और कर्ज़ दारों की सहायता के लिए, और अल्लाह के मार्ग में ख़र्च करने के लिए और यात्रियों की सहायता के लिए, यह अल्लाह का ठहराया हुआ हुक्म है अल्लाह जानने वाला और तत्वदर्शी है'' (सूरा-९, अत-तौबा, आयत-६०)

ज़कात वास्तव में इस्लामी समाज में आर्थिक असमानता मिटाने का एक ऐसा साधन है जिसका उदाहरण किसी और धर्म या व्यवस्था में नहीं पाया जात। इतिहास के पन्नों में मदीना राज्य की जो घटनाएं सुरक्षित हैं, उनमें से एक यह भी है कि ज़कात देने वाले बाजारों में धन हाथ में लेकर घूमते फिरते थे, परन्तु कोई लेने वाला नहीं मिलता था, क्योंकि ज़कात का एक सरकारी प्रबन्ध ा था जहां लोग अपने ज़ाहिरी माल की ज़कात 'बैतुल माल' में जमा करते थे, या स्वयं सरकार उनसे वसूल करती थी (जाहिरी माल में जानवर, व्यापार, खेत की पैदावार आदि आते हैं) और फिर बैतुल-माल से निर्धनों और मोहताजों को बांटी जाती थी। परन्तु सोने-चांदी की ज़कात मुसलमान स्वयं बांटते थे, जिसको लेने वाले नहीं मिलते थे। इस प्रकार ज़कात के सिद्धान्त ने निर्धनता को सैदव के लिए विदा कर दिया।

फिर ज़कात मनुष्य की आत्मा की शुद्धि का भी एक साधन है, क्योंकि धन का मोह सदैव आत्मा को घेरे रहता है। अब उससे छुटकारे का एकमात्र साधन ज़कात ही है, क्योंकि हर मुसलमान को ढाई प्रतिशत ज़कात तो देनी ही है, इसके अतिरिक्त उसे कुछ और भी देना चाहिए। इस प्रकार ज़कात का सिद्धान्त आत्मा को शुद्ध करने और उसे विकसित करने का विशेष साधन बन जाता है।

ज़कातुल फित्र

जैसा कि इससे पूर्व बताया जा चुका है कि ज़कात का अर्थ है शुद्ध करना। ज़कातुल फित्र में भी यही अर्थ पाया जाता है। अर्थात रमज़ान के रोज़े (उपवास) में अगर कोई चूक हो गई हो तो ज़कातुलफित्र के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है।

यह ज़कात भी अनिवार्य हैं एक सहीह हदीस में आया है-

''नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने आज़ाद एवं गुलाम,

फुरूष-स्त्री, छोटे-बड़े अर्थात प्रत्येक (सामर्थ्य रखने वाले) मुसलमान पर ज़कातुल फित्र अदा करना अनिवार्य किया, जिसका परिमाण है एक साअ खजूर, या एक साअ गेहूं। (बुखारी, १५०४ तथा मुस्लिम, ६८४)

परन्तु उन मुसलमानों पर ज़कातुल फित्र वाजिब नहीं जिनके पास इतना भी धन न हो कि ईद के दिन अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकें। यह 'साअ' एक प्राचीन पैमाना है, जिसका वर्णन युसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में आता है। देखिए सूरा-१२, यूसुफ, आयत-७२ और जो आज के पैमाने से लगभग साढ़े तीन किलोग्राम बनता है। (अधिक जानकारी के लिए देखिए साअ) इस ज़कात को निकालने का उचित समय ईद की नमाज़ से पहले है, ताकि निर्धन लोग भी ईद के आनन्द और उल्लास में सम्मिलित हो जाएं। इसलिए अगर इस ज़कात पर विचार किया जाए तो इस्लामी समाज में एकता पैदा करने का यह भी एक साधन है, ताकि धनवान तथा निर्धन दोनों ही इस्लाम के साए में मिल जुलकर जीवन व्यतीत कर सकें और यही इस्लामी शिक्षाओं का विशिष्ट उद्देश्य है।

शरीअत व कानून का पालन करें

एन. अहमद

''तिलकल अय्यामो नुदाविलुहा के अनुसार हालात में बदलाव आते रहे हैं, यह अल्लाह का सिद्धांत है लेकिन हालात के बदलाव के कारण इन्सान के अन्दर किसी प्रकार की निराशा नहीं पैदा होनी चाहिए। कुरआन और हदीस में हमें हर उतार-चढ़ाव के एतबार से रहने और जीवन बसर करने का दिशा निदेशा बताया गया है हमें उनका पालन करते हुए अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, आद और समूद कौम का अंजाम हमारी नज़रों के सामने है, अल्लाह तआला अपने सच्चे बन्दे की मदद करता है, शर्त यह है कि हम उसके सच्चे अनुयाई बन जाएं और अपने आपको कुरआन व हदीस के अनुसार ढाल लें, यही हमारी सफलता की राह है और मनोबल को प्रबल बनाने का माध्यम भी है अल्लाह तआला पूरी मानवता को एक दूसरे की मदद करने और एक दूसरे के दुख दर्द को समझने की क्षमता दे, यह गलोबलाइजेशन का दौर है दुनिया में कोई घटना घटती है तो उसका प्रभाव थोड़ा-बहुत हर जगह पड़ता है, इस लिये हम तमाम इन्सानों की जिम्मेदारी है कि अफवाह पर ध्यान न दें, एक दूसरे के धार्मिक मामलात में हस्तक्षेप न करें, सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे तो कुछ समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना अकलमन्दी नहीं है, इसी प्रकार किसी खबर पर तुरन्त टिप्पणी करना भी उचित नहीं है, हर नाजुक मसले पर अपनी राय व्यक्त करना ज़रूरी नहीं है जो जिस मैदान का माहिर हैं वही उस काम को अन्जाम दे हमारी शरीअत इसी सूझ बूझ को अपनाने पर जोर देती है, इसलिये ज़रूरी है कि इसको फॉलो करें और कानून व शरीअत का पालन करें और हर मामलात में विश्वसनीय ओलमा से मार्गदर्शन लें, उन से मसले मसाइल मालूम करें।

मुसलमानों की खूबियाँ

❑ **मौलाना अबुल कलाम आज़ाद**

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सदाचरण का अन्दाज़ा करने के लिये एक कसौटी यह भी हो सकती है कि अहले ईमान (मुसलमानों) की जो विशेषताएं कुरआन में बयान की गयी हैं, उन्हें सामने रख लिया जाए क्योंकि अल्लाह तआला ने जिस पवित्र वजूद के माध्यम से कुरआन की शिक्षा को सृष्टि तक पहुंचाई वह हर हाल में इस शिक्षा का एक पवित्र रूप होगा। इसी पवित्र वजूद को देख कर सहाबा अपने अमल दुरूस्त करते थे और इसी पवित्र वजूद की छत्रक्षाया में उनके सुधार का सिलसिला जारी था।

कुरआन मजीद की वह तमाम आयतें जमा करना संभव नहीं लेकिन उनमें से चन्द आयतों को पढ़िए जिन में सामूहिक जिन्दगी से गहरा संबन्ध रखने वाली खूबियों का उल्लेख है।

१. मोमिन (मुसलमान) वह है जो अल्लाह से डरते और आपसी मामलात को दुरूस्त रखते हैं, अल्लाह का जिक्र छिड़े तो उनके दिल कांप उठते हैं, अल्लाह का कलाम सुनाया जाये तो ईमान ज़्यादा हो जाते हैं, वह हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जो कुछ खुदा ने उन्हें दे रखा है उसमें से अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं वही हक़ीक़ी मोमिन हैं। (सूरे अंफ़ाल १-४)

२. बिला शुब्हा ईमान वाले कामयाब हुये (उनकी विशेषताएं क्या हैं) नमाज़ें खुशूअ् व खुजूअ् से अदा करते हैं, निकम्मी और लग्व बातों से रूख़ फेरे हुये हैं, ज़कात अदा करने में सक्रिय हैं, इफ़्फ़त इस्मत की निगेह्दाश्त से गाफिल नहीं होते. .. इमानतों और वअ्दों का उन्हें पास रहता है, नमाज़ों की हिफ़ाज़त में कोताही नहीं करते। (सूरे मोमिन-१-१०)

३. अल्लाह के बन्दे वह हैं जो ज़मीन पर दबे पांव अर्थात इज़्ज़त व फिरोतनी से चलते हैं जब जाहिल यानी कम अक़्ल अख्खड़ और बे अदब लोग उनसे बात करते हैं तो मुलायम बात सुना कर और साहबे सलामत कह कर अलग हो जाते हैं। रात का वक़्त (यानी सोने का वक़्त कलब की तफरीहा में नहीं) अपने परवरदिगार के लिये क़्याम व सुजूद में गुज़ारते हैं और कहते हैं ऐ हमारे परवरदिगार हमसे दोज़ख़ का अज़ाब फेरे दे...जब ख़र्च करते हैं तो न बेजा उड़ाते हैं और न मौक़े की मुनासिबत के पेशे नज़र तंगी करते हैं। वह किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाते, जिससे अल्लाह ने मनाकर रखा है और बदकारी से भी दूर रहते हैं... झूठे काम में शामिल नहीं होते, किसी की लग्व बात से गुज़र रहे हों तो संजीदगी और वक़ार से गुज़र जाते हैं। (सूरे फुरक़ान ६३-७४)

४. वह (अहले ईमान) परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से दूर रहते हैं, जब गुस्सा आये तो मआफ़ कर देते हैं और खुदा ने उन्हें जो कुछ दे रखा है उसमें से ख़र्च करते हैं, जब उन पर कोई ज़्यादती हो तो उचित बदला लेते हैं, बुराई का बदला वैसी ही बुराई। फिर जो कोई मआफ़ कर दे और नेकी करे उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है, अल्लाह ज़ालिमों को पसन्द नहीं करता, जो कोई मज़लूम हो कर बदला ले तो उस पर कोई मलामत नहीं, मलामत तो उन पर है जो

लोगों पर खुद से जुल्म करते हैं और जमीन में नाहक़ फसाद फैलाते हैं, उनके लिये दर्दनाक अज़ाब है और जो जुल्म को सह जाये और मआफ कर दे तो बड़ी आली हिम्मती के कामों में से है। (सूरे शूरा-३६-४३)

असल नेकी क्या है?

१.अल्लाह पर ईमान

२. आखिरत के दिन (क्यामत) और फरिश्तों पर ईमान

३. खुदा की उतारी हुई किताबों और खुदा के भेजे हुये नबियों पर ईमान

४. माल ख़र्च करके गुलामों को आज़ादी दिलाना

५. नमाज़ और ज़कात बाकायदा अदा करते रहना।

६. खुदा की मुहब्बत में अपना माल रिश्तेदारों यतीमों मिस्कीनों और मांगने वालों को देना।

७. वादा करना तो उसे हर हाल में पूरा करना

८. तंगी, दुख या भय में सब्र और स्थिर रहना (सूरे बक़रा १७७)

अल्लाह ने फरमाया

१. खुशहाली और तंगदस्ती दोनों हालतों में खुदा के लिये खर्च करना।

२. गुस्से को पी जाना और लोगों के दोष को मआफ कर देना।

इस्लाम ने जो इबादतें तय की हैं उनका मकसद भी इसके सिवा क्या है कि लोगों के आमाल दुरूस्त हों, उनके आचरण अच्छे हों, उनका जीवनी दपर्ण (आइने) की तरह पवित्र और पारदर्शी हो जाये और उनके आचरण ज़्यादा से ज़्यादा संवर जायें। (रसूले रहमत से साभार-पृष्ठ ६७७-६७९)

पाठक गण ध्यान दें

१-जल्द से जल्द बकाया राशि भेज दें। २-अगर आपको हर महीने की 5 तारीख को पत्रिका न मिले तो इसके बारे में कार्यालय को सुचित करें। न मिलने की सूरत में दूसरी कापी भेजी जायेगी, लेकिन शिकायत करने से पहले अपने नजदीकी डाकखाने पर जानकारी हासिल कर लें। ३-नये खरीदारों से अनुरोध है कि अपने पते में फोन नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर और पिन कोड भी लिखें। ४-पुराने खरीदारों से अपील की जाती है कि यदि उनका कोई फोन नम्बर या मोबाइल नम्बर हो तो पोस्ट कार्ड पर या फोन के जरिये अपने खरीदारी नम्बर का हवाला देकर अवश्य भेज दें ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे सम्पर्क किय जा सके। 5- मनी आर्डर या हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से पत्रिका के सदस्य बनने वालों को यह सूचित किया जाता है कि रसीद कटवाने के बाद दूसरे महीने ही में पत्रिका भेजी जायेगी। ६- किसी भी तरह की शिकायत के लिये इस नम्बर पर संपर्क करें। ७. नए और पुराने सदस्यों से अुनरोध है कि नक़द पैसा कोरियर और जनरल डाक से न भेजें। इसलाहे समाज के बारे में किसी भी तरह की शिकायत के लिये 3 बजे से 5 बजे तक फून करें। 011-23273407

शिक्षा की अहमियत

नौशाद अहमद

किसी भी सामज में हर वर्ग की अपनी अपनी अहमियत होती है जिस को नजर अन्दाज़ नहीं किया जा सकता है बुरे प्रभाव से नई नस्ल को बचाना एक चुनौती और समस्या है जिस का समाधान करने के लिये कड़ी मेहनत की जरूरत है।

आज हम जिस संसार में सांस ले रहे हैं वहाँ पर कदम-कदम पर हमारी आजमाइश है जिस का हल ढूंढना एक महान काम है।

कोरोना महामारी ने हम इन्सानों को नई नई आजमाइश और परीक्षा में डाल दिया है, जीवन का कोई ऐसा विभाम नहीं है जो प्रभावित न हुआ हो, शिक्षा, रोज़गार और रहन सहन में पतन पैदा हो गया है लेकिन इस कठिन घड़ी से निकलना असंभव भी नहीं है।

ऐसे हालात में माँ बाप की जिम्मेदारियाँ पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई हैं, पहले ज़्यादातर माँ-बाप स्कूल की शिक्षा पर निर्भर रहा करते थे लेकिन स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था बदलने से बहुत से मसाइल खड़े हो गये हैं ऐसे में माँ बाप को शिक्षा के प्रकरण में पहले से ज़्यादा जागरूक हो जाना चाहिये।

आज शिक्षा का एक माध्यम स्मार्ट फोन, टेबलेट और कम्पूटर बन चुके हैं, स्पष्ट है कि हर माँ-बाप इन संसाधनों की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, ऐसे में ज़रूरी है कि मालदार लोग ऐसे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, और शिक्षा के बारे में संसाधन को जुटाने में गरीब लोगों की मदद करें।

देखा जा रहा है कि गरीब बच्चे आधुनिक संसाधन न होने के कारण और कुछ माँ- बाप की लारवाही की वजह से शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं, यह हमारे लिये चिंताजनक है। पहले की अपेक्षा शिक्षा के लिये जागरूकता पैदा हुई थी, लोग शिक्षा के मैदान में आगे बढ़ने के लिये प्रयासरत थे लेकिन महामारी में शिक्षा का तरीका बदलने की वजह से बड़ी रूकावट पैदा हो गई है, जरूरत है कि हम इन रूकावटों को दूर करने की कोशिश करें और हर स्तर पर लोगों की सहायता करें, मौजूदा हालात में केवल स्कूल की शिक्षा पर निर्भर न रहें बल्कि अपने गाँव व महल्लों में सुबह और शाम शिक्षा के लिये मकातिब (प्राइमरी स्तर) के स्कूल की स्थपना को निश्चित बनाएं और अगर पहले से जहाँ जहाँ भी ऐसे मकातिब काइम हैं तो उनको सक्रिय बनाएं, और इन मकातिब में उर्दू और कुरआन की शिक्षा का विशेष आयोजन और प्रबन्ध करें सुबह शाम दुआएं पढ़ायें और याद करायें, ताकि अपनी नई नस्ल को दीन व चरित्र से सुसज्जित कर सकें और उनको इस्लाम की शिक्षाओं और आस्थाओं पर काइम रख सकें। अल्लाह तआला से दुआ है कि हम सभी लोगों को इन कामों को करने की क्षमता और सामर्थ प्रदान करे और पूरे विश्व को महामारी से सुरक्षित रखे।

एलाने दाख़िला

(मदारिस से फ़ारिग़ तलबा के लिए)

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के

जेरे एहतमाम अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला

नई दिल्ली में स्थापित

उच्च शैक्षिक एवं प्रशिक्षणिक संस्था

अलमाहदुल आली लित तख़स्सुस फ़िद दिरासातिल इस्लामी

में नये तालीमी कलैण्डर 2022-2023 के अनुसार इस साल नये सत्र के लिये एडमीशन 14 से 16 मई 2022 तक लिया जायेगा। अपना अनुरोध पत्र व सनद की फोटो कापी इस पते पर भेजें। और दाख़िला इमतिहान की तारीख़ का इन्तेज़ार करें।

अनुरोध पत्र मिलने की अंतिम तारीख़ की 7 मई 2022 है अपना अनुरोध पत्र और सनद की फोटो कापी निम्न पते पर भेजें।

अधिकृत जानकारी के लिये संपर्क करें।

अहले हदीस कम्पलैक्स डी.254 अबुल फजल इन्कलेव

जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-110025

फोन 011-26946205 , 011-23273407

Mob. 9213172981, 09560841844

शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

प्यारे रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें

❑ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी बयान करते हैं कि एक व्यक्ति ने आकर मुहम्मद स०अ०व० से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसा काम बता दिजिये, जिसको करने से मैं जन्नत में चला जाऊं। मुहम्मद स०अ०व०ने फरमायाः अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को साझीदार न ठहराओ, नमाज़ काइम करो, जकात दो, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करो। (बुखारी-मस्लिम)

❑ तुम में से जो शख्स कोई बुराई देखे तो उसको अपने हाथ से खत्म करे अगर इसकी ताकत न हो तो जुबान से दूर करने का प्रयास करे, और अगर इसकी भी ताकत न हो तो दिल में इसको बुरा जाने और यह ईमान की सबसे कमज़ोर अलामत है। (मुस्लिम)

❑ मजलूम की बददुआ से बचो इसलिये कि इसके और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं। (बुखारी)

❑ अगर किसी ने अपने भाई को अपमानित (रूस्वा) किया है, उसके माल व दौलत या किसी और चीज़ से कुछ लिया है या किसी के साथ कोई जुल्म किया है तो दुनिया ही में उसको मआफ करा ले और उसकी भरपाई कर दे वर्ना क्यामत के दिन जब दीनार व दिर्हम न होंगे ताकि किसी को इनके माध्यम से खुश किया जा सके। जालिम के अच्छे कर्मों को उसके जुल्म के हिसाब से मजलूम के हिस्से में डाल दिये जायेंगे। जब उसका नाम-ए-आमाल नेकियों से खाली हो जायेगा और मजलूम का हक़ बाकी रहेगा तो मजलूम के गुनाह उसके सर पर डाल दिये जायेंगा। (बुखारी)

❑ जुल्म से बचो इसलिये कि जुल्म क्यामत के दिन अंधेरा बन कर आयेगा। (मुस्लिम)

❑ अपने भाई की मदद करो, चाहे वह जालिम हो या मजलूम। आप स०अ०व० से पूछा गया, जालिम की मदद कैसे की जाये। फरमाया कि उसको जुल्म करने से रोकना ही उसकी मदद है। (बुखारी-मुस्लिम)

❑ ऐ अबू ज़र! जब तुम्हारे घर सालन बनाया जाये तो उसमें पानी बढ़ा लिया करो और अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। (मुस्लिम ४७५८)

❑ जो व्यक्ति अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वह अपने पड़ोसी को दुख न दे। (बुखारी-५६७१)

❑ वह व्यक्ति जन्नत में नहीं जा सकता जिस की शरारतों से उसका पड़ोसी सुरक्षित न हो। (मुस्लिम-६६)

❑ एक बार मुहम्मद स०अ०व० ने तीन बार यह वाक्य सुनाया कि अल्लाह की कसम वह व्यक्ति मोमिन नहीं हो सकता जिसके दुख से उसका पड़ोसी सुरक्षित न हो। (बुखारी-५५५७)

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति के सत्र में आतंकवाद की निन्दा

❑ मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का सत्र मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अध्यक्ष मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी की अध यक्षता में ६ मार्च २०२२ अनुसार ५ शाबान १४४३ हिजरी को सुबह दस बजे अहले हदीस कम्पलैक्स अबुल फज़ल इन्कलेव जामिया नगर ओखला नई दिल्ली में आयोजित हुआ जिस में देश के कोने-कोने से कार्य समिति और राज्य इकाइयों के प्रतिष्ठित पदधारियों ने शिर्कत की।

❑ सत्र का आरंभ मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के नायब अमीर हाफिज़ मुहम्मद कैयूम की तिलावत से हुआ। मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर ने अपने संबोधन में तमाम प्रतिष्ठत सदस्यों का सवगत और उनका हार्दिक धन्यवाद करते हुए और आपसी भाईचारा, राष्ट्रीय एकता एवं सौहार्द की अहमियत व ज़रूरत की स्थापना की भी तलकीन की। इसके बाद मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के महा सचिव मौलाना महुम्मद हारून सनाबिली ने पिछले कार्य समिति सत्र की रिपोर्ट पेश की जिस की सदस्यगण ने पुष्टि की। मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के कोषाध यक्ष अलहाज वकील परवेज़ ने अमीअत की आमदनी व खर्च के विस्तृत हिसाब पेश किये जिस पर सम्मानीय सदस्यों ने संतुष्टि व्यक्त की सत्र में मिल्ली जमाअती, मुल्की और विश्व के महत्वपूर्ण मसाइल के सिलसिले में करारदाद और परस्ताव पारित किये गये जिन्हें कार्य समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास किया। करारदाद का मूल लेख यह है:

❑ मर्कज़ी जमीअतल अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का यह सत्र अकीदए तौहीद को पूरी मानवता तक पहुंचाने, अपने धार्मिक सिद्धांतों पर मजबूती से स्थापित रहने और अन्य इबादतों को पाबन्दी से अंजाम देने का उपदेश और जोर देते हुए इस्लामी शिक्षाओं के सिलसिले में पैदा की गई गलत फहमियों और सन्देहों के निवारण की अपील और मौजूदा परिस्थतियों में कुरआन और हदीस की शिक्षाओं को साधारण करना वक़्त की अहम और अवश्यक ज़रूरत करार देता है।

❑ कार्य समिति का यह सत्र अन्तरधर्मीय वार्ता की अहमियत को स्वीकार करते हुए विश्व समुदाय से अपील करता है कि वह अम्न व शान्ति और सहअस्तित्व की अहमियत एवं ज़रूरत को समझते हुए इस तरफ ध्यान दें और किसी भी समस्या को निजी हित के बजाये मानवता के शुभचिंतन के दृष्टिकोण से देखें ताकि यह दुनिया भाई चारा, अम्न व शान्ति का स्थल बन सके और रोज़ बरोज़ बढ़ती कठिनाइयों से मुक्ति पा जाए।

❑ मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का यह सत्र समुदायिक व समाजी संगठनों, दलों, आदरणीय ओलमा और संस्थाओं के पदधारियों से अपील करता है कि वह एक दूसरे पर निराधार आरोप से बचें और

महत्वपूर्ण समुदायिक व जमाअती मामलों के समाधान में आपसी विचार विमर्श और सहयोग से काम लें और एकमत बनाने का प्रयास करें।

❑ मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समीति के सत्र का यह एहसास है कि बढ़ती मंहगाई, बेरोज़गारी, अशिक्षा और असुरक्षा देश की संगीन समस्याएं हैं इनके समाधान के बगैर देश का विकास संभव नहीं। यह सत्र सरकारों और तमाम राजनैतिक दलों से अपील करता है कि उपर्युक्त समस्याओं के समाधान के लिये प्रभावी रोल अदा करें और चुनावों में किसी के धर्म और जात-पात को चुनावी मुददा न बना कर विकास कार्यों को मुददा बनायें।

❑ आपसी भाईचारा, राष्ट्रीय एकता, आपसी सहयोग व सौहार्द हमारी पहचान है जिसने देश के विकास एवं निमार्ण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन कुछ लोग अपने निराधार बायनात और गलत ढंग से मन गढ़त तारीख बयान करके देश की इस पहचान को खतम करने के दरपे हैं ऐसे में कार्य समिति का यह सत्र प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रनिक मीडिया से अपील करता है कि वह ऐसे बयानात और भाषणों को कवरेज न दें जो देश की बदनामी और समाज में मानसिक उलझन पैदा करने का सबब बन रहे हों। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है इसलिये मौजूदा हालात के दृष्टिगत उसको अपनी जिम्मेदारी निष्ठापूर्वक निभानी चाहिए और उसकी रिपोरटिंग सत्य पर आधारित होनी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास उस पर बाक़ी रहे।

❑ मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का यह सत्र देश और संसार के अन्य भागों में होने वाली आतंकी घटनाओं की निन्दा करता है। कार्य समिति का मानना है कि आतंकी वाकआ और किसी के व्यक्तगत अपराध और पाप को किसी विशेष समुदाय और ध र्म से जोड़ने से दूसरे के धर्म और उसके मानने वालों की क्षवि खराब होती है, यह किसी भी तरह से दुरूस्त नहीं क्योंकि संसार का कोई भी धर्म और समुदाय आतंकवाद और किसी के व्यक्तगत अपराध का समर्थन नहीं करता।

❑ कार्यसमिति का यह सत्र मादक पदार्थों के सेवन, दहेज़ की लानत, अश्लीलता, भ्रूण हत्या, और महिलाओं के शोषण की विभिन्न सूरतों पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकारों और अवाम से अपील करता है कि नारी को हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान किया जाये और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जो उसे पहनावे की आड़ में भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं।

❑ शिक्षा की अहमियत और उपयोगिता हर ज़माने में सर्वमान्य रही है और इसे एक आवश्यक ज़रूरत करार दिया गया है। शिक्षा के बिना विकास असंभव है अतः ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना अत्यंत ज़रूरी है जहां पर धार्मिक पहचान को बाकी रखते हुए आज़ादाना तौर पर शिक्षा प्राप्त कर सकें। मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का यह सत्र राष्ट्र एवं समुदाय के समृद्ध और मालदार लोगों से अपील करता है कि वह ऐसी स्तरीय संस्थाओं की स्थापना को सुनिचित बनायें जहाँ ध ार्मिक पहचान को बाक़ी रखते हुए बिना किसी रूकावट के हमारी शैक्षणिक आवश्यकता पूरी हो सके।

❑ मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का यह सत्र देश के विभिन्न जेलों में बन्द मुस्लिम नौजवानों के मुकदमात को जल्द से जल्द निमटाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए सरकारों से अपील करता है कि वह ऐसे नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिये मुआवज़ा दें जो सम्माननीय अदालतों से वर्षों बाद बाइज्जत बरी हुए हैं साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाये जो इन निर्दोष नौजवानों और उनके बच्चों के भविष्य को तारीक (अंधकारमय) बनाने का सबब बन रहे हैं।

❑ मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति के इस सत्र का मानना है जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। दोनों पक्षों को वार्ता के माध्यम से विवादास्पद मामलों का समाधान कर लेना चाहिये क्योंकि दुनिया भूतपूर्व में होने वाली जंगों का खतरनाक परिणाम देख चुकी है और गलोबलाइजेशन के दौर में जंग से दोनों पक्ष ही नहीं पूरी दुनिया प्रभावित होती है। इसके अलावा यह सत्र अपने इस दृष्टिकोण को दोहराता है कि विदेश नीति में जमीअत का वही दुष्टिकोण है जो भारत सरकार का है। यह सत्र रूस-यूक्रेन जंग को चिंता की दृष्टि से देखता है और इसके समाधान के लिये आशान्वित है।

❑ मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का यह सत्र फलस्तीन मामले का जल्द से जल्द समाधान करने के लिये राष्ट्र संघ से अपील करता है कि फलस्तीन में इस्राईल की आक्रामक और अत्याचारी कार्रवाई को लगाम दे और फलस्तीन के अवाम के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित बनाने के के लिये अपने अधिकार का स्तेमाल करे। सऊदी अरब के जरिये फलस्तीनियों का उचित समर्थन व सहयोग एवं पूरी दुनिया में उसके मानवीय कल्याणकारी कामों की प्रशंसा की गई और इस सिलसिले में किसी तरह के गलत प्रोपैगण्डे से होशियार रहने का उपदेश दिया गया।

❑ वैश्विक कोविड-महामारी से अब तक लाखों लोग जान गंवा चुके हैं और करोड़ों लोगों के कारोबार और जीवन के अन्य विभाग बुरी तरह से प्रभवित हुए हैं। यह सत्र मरने वालों के परविारजनों से सौहार्द व्यक्त करते हुए साधारण व असाधारण को अपने पापों से तौबा करने और एक दूसरे का भरपूर सहयोग करने की अपील करता है। इसके अलावा करोना महामारी के दौरान जिन लोगों ने प्रभावितों और जरूरत मन्दों की किसी भी तरह की मदद की उनकी सराहना करता है और दुआ करता है कि अल्लाह तआला पूरी मानवता विशेष रूप से प्रिय देश भारत को महामारी से सुरक्षित रखे और इस दौरान होने वाले नुकसानात की क्षतिपूर्ति फरमाये।

❑ मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द का यह सत्र मर्कजी जमीअत के पूर्व अध्यक्ष हाफिज मुहम्मद यहया देहलवी और अन्य समाजी इल्मी व दीनी हस्तियों के निधन पर रंज व गम व्यक्त करता है और अल्लाह से दुआ करता है कि वह पसमांदगान को सब्र दे और जमाअत और राष्ट्र व समुदाय को उनका अच्छा विकल्प दे। आमीन

(जरीदा तर्जुमान में प्रकाशित कार्य समिति की रिपोर्ट का सारांश १६-३१ मार्च २०२२)

जैसी संगत वैसा फल

सईदुर्रहमान सनाबिली

यह सच है कि इन्सान की पहचान उसके अपने साथियों से होती है, इन्सान अपने दोस्त के आदात और तरीक़ों से बहुत प्रभावित होता है और असर भी डालता है। आप अपने आस पास की समीक्षा करें तो इस हकीक़त को आसानी से समझ लेंगे कि नेक लोगों की संगत में रहने वाले इन्सान की दुनिया प्रशंसा करती है, उसे विश्वसनीय और भरोसे मन्द समझती है, ऐसे इन्सान के बारे में सन्देह नहीं किया जाता है, अगर समाज में कोई वारदात होती है तो शक की सूई इस पर नहीं जाती और अगर असमाजिक तत्व इस पर झूठा आरोप लगाते हैं तो इस की तरफ से दिफा करने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है लेकिन जो बुरे लोगों की संगत में रहते हैं तो समाज के लोग इसे भी बुरी नज़रों से देखते हैं, समाज में ऐसे इन्सान की छवि नकारात्मक हो जाती है। यही वजह है कि इस्लाम धर्म ने अपने अनुयाइयों को अच्छी संगत अपनाने के बारे में पूरे तौर पर मार्गदर्शन और निर्देश दिया है कि किन लोगों की संगत हमारे लिये लाभकारी है, किन लोगों को अपना दोस्त बनाया जा सकता है और वह कौन लोग हैं जिनकी संगत से अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। इस्लाम ने ऐसे लोगों की निशानदेही की है जिनकी दोस्ती हानिकारक है और यह भी बता दिया कि बुरे लोगों की संगत या साथ रहने से दूर रहना चाहिए।

हमें यह मालूम होना चाहिए कि लोगों के स्वभाव अलग अलग होते हैं कुछ तो भलाई के सन्देश्वाहक होने की वजह से भलाई की तरफ आमंत्रित करते हैं और कुछ लोग बुरे स्वभाव की वजह से बुराई की तरफ खींचते हैं जैसा कि हदीस में भी आया है। पैगम्बर मुहम्मद स०अ०व० ने फरमायाः निसन्देह कुछ लोग नेकियों के जारी करने वाले और बुराइयों को बन्द करने वाले होते हैं और कुछ लोग बुराइयों को जारी करने वाले और नेकियों को बन्द करने वाले होते हैं। खुश्खबरी है उस शख्स के लिये जिसको अल्लाह नेकी को जारी करने वाला बना दे और बर्बादी है उसके लिये जिसके हाथों को अल्लाह तआला बुराइयों को जारी करने वाला बना दे। (सुनन इब्ने माजा-२३७ अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को हसन क़रार दिया है।

अबू मूसा अश्अरी रज़िअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि पैगम्बर मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया नेक साथी की मिसल कस्तूरी बेचने वाले इन्सान जैसी है और बुरा साथी लोहार जैसा है कस्तूरी (खुश्बू) बेचने वाला या खुद से तुझे खुश्बू दे दे गा या तू उससे खरीद लेगा (अगर यह दोनों बातें न हुईं तो) कम से कम तुझे उसकी खुश्बू तो हासिल होती रहेगी। रहा लोहार या तो वह तुम्हारे कपड़े जला दे गा या फिर तुझे नागवार धुवां तो फाँकना ही पड़ेगा। (सहीह बख़ारी ५५४४, सहीह मुस्लिम ६३८२)

यह हदीस स्पष्ट तौर पर बताती है कि अच्छे की संगत जहां इन्सान के रहन सहन, तौर तरीक़ा, सोच व फिक्र, आदात, चरित्र का पता देती है और अच्छा साथी दीन दुनिया की भलाइयों की प्राप्ति का ज़रीआ है और बुरी संगत और बुरे इन्सान के

साथ उठना बैठना या संगत इन्सान के फिक्र व ख्याल, तौर तरीक़ा और चरित्र के लिये हानिकारक है और सब पर बुरा असर डालता है। इमाम नौवी रह० ने इस हदीस की व्याख्या करते हुए लिखा है कि इस हदीस में भले लोगों, अच्छे आचरण व स्वभाव रखने वालों, संयमी, ज्ञानी और शिष्ट लोगों के साथ बैठने की फजीलत (श्रेष्ठता) बयान की गयी है और बुरे लोगों, चुगली करने, झूठी और लम्बी चौड़ी बातें करने वालों के साथ उठने बैठने से रोका गया है (शरह सहीह मुस्लिम ६/१८)

हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी रह० ने इस हदीस के अन्तर्गत लिखा है कि जिस शख्स की वजह से दीन दुनिया का नुक़सान हो, उसके साथ उठने बैठने से हदीस में मना किया गया है और जिस की वजह से दीन दुनिया का नफा हो उसके साथ बैठने की हदीस में प्ररेणा दी गई है। (फ़त्हुल बारी ४/३२४)

नेक और अच्छे दोस्त के चुनाव का एक अहम फायदा यह है कि नेक लोगों की संगत से इंसान प्रभावित होता है क्योंकि इन्सान के लिये अपने साथी की पैरवी करना स्वभाविक बात है और उसके ज्ञान, अमल, आदात और उसके तौर तरीके से प्रभावित होता है। इस बात की व्याख्या अबू हुरैरह रजिअल्लाहो तआला अन्हो की इस हदीस से होती है जिसमें पैगम्बर मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया आदमी अपने

हम में से हर शख्स को चाहिए कि हम जिस शख्स के साथ उठते बैठते हैं उसके बारे में जांच पड़ताल कर लें कि ऐसा तो नहीं कि उसकी संगत हमारे लिये दीन से दूरी का सबब बन रही है तो ऐसी संगत और दोस्ती को छोड़ कर हमें ऐसे इन्सान से दूर रहने की भरसक कोशिश करनी चाहिए

दोस्त के दीन (तौर तरीके) पर होता है इसलिये तुम में से हर एक को सोच समझ कर दोस्त का चयन करना चाहिए (सुनन अबू दाऊद ४८३३, सुनन तिर्मिज़ी २२७८, मुस्नद अहमद ८०४८ अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सहीह करार दिया है (सहीहुल जामे ३५४५)

यहां यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमें ऐसे लोगों की संगत अपनानी चाहिए जिनकी एमानतदारी और दीनदारी पर हमें इतमिनान हो। यही वजह है कि सम्माननीय अस्लाफ (पूर्वज) कहा करते थे कि किसी इन्सान के बारे में जानना हो तो उसके दोस्त अहबाब के बारे में जानकारी हासिल कर लो तो उसकी हक़ीक़त मालूम हो जाएगी। अदी बिन ज़ैद रजिअल्लाहो तआला अन्हो अपनी कविता में कहते हैं :

कि आदमी के बारे में पूछने से पहले उसके दोस्तों के बारे में पूछ लो, क्योंकि आदमी अपने दोस्त की पैरवी करता है, जब तुम लोगों में मिल जुल कर रहो तो उनमें से बेहतर शख्स को अपना साथी बनाओ और बुरे को अपना साथी न बनाओ क्यों कि बुरा साथ तुझे भी हलाक कर देगा। (अदबुद दुनिया वद-दीन पृष्ठ १६७)

हम में से हर शख्स को चाहिए कि हम जिस शख्स के साथ उठते बैठते हैं उसके बारे में जांच पड़ताल कर लें कि ऐसा तो नहीं कि उसकी संगत हमारे लिये दीन से दूरी का सबब बन रही है तो ऐसी संगत और दोस्ती को छोड़ कर हमें ऐसे इन्सान से दूर रहने की भरसक कोशिश करनी चाहिए अगर हमने इस की इस्लाह कर ली तो यह अमल हमारे लिये सदकए जारिया साबित होगा। और अगर कोई दोस्ती या संगत इस्लाम से करीब कर रही हो तो हमें ऐसी दोस्ती की कद्र और सम्मान करना चाहिए।

रमज़ानुल मुबारक के मौके पर अपने
सदक़ात व खैरात का हिस्सा मर्कज़ी जमीअत
अहले हदीस हिन्द को देना न भूलें

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द हिन्दुस्तान में अहले हदीसों का नुमाइन्दा पलेटफार्म है जो अपने उददेशों व लक्ष्यों की रोशनी में योजनाओं और संकल्पों को पूरा करने के लिये प्रयासरत है। उसकी दावती, तबलीगी, तालीमी, तर्बियती, तहरीरी व सहाफती, कल्याणकारी एवं समाजी सेवाओं का एक लम्बा सिलसिला है। सेमीनार कांफ्रेन्स और प्रतियोगिता के आयोजन, विभिन्न भाषाओं में पत्रिकाओं का प्रकाशन, तफसीर, हदीस और अहम दीनी किताबों के प्रसारण का काम पाबन्दी से हो रहा है अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली के महान निमार्ण प्रोजेक्ट की दूसरी मंज़िल और अहले हदीस मंज़िल स्थिति जामा मस्जिद दिल्ली की चौथी मंज़िल की छत की ढलाई का काम हुआ चाहता है जिस की वजह से जमीअत के खर्च बढ़ गये हैं और यह सब काम अल्लाह के फज्ल व करम के बाद अहले खैर हज़रात, शुभचिंतकों और उपकारकों के सहयोग से हो रहा है। इस पर हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं और अपने उपकारकों और मुख्लिसीन के भी जिन्होंने किसी न किसी पहलू से मर्कज़ी जमीअत के निमार्ण एवं विकास में भाग लिया है और उसके योजनाओं को पूरा करने में आज भी सहयोग जारी रखे हुये हैं।

रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है इस मुबारक अवसर पर तमाम शुभचिंतकों व मुख्लिसीन से अपील है कि मर्कज़ी जमीअत के तमाम विभागों को सक्रिय रखने और उसके निमार्ण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिये जमीअत के जिम्मेदारों और कार्यकर्ताओं के साथ भरपूर सहयोग करें। वह आपकी सेवा में हाज़िर होंगे। अगर इनमें से कोई आपके पास न पहुंच सके तो कृपया अपना सहयोग राशि मर्कज़ी जमीअत के दफतर में भेज दें अल्लाह आपकी नेकियों को कुबूल करे।

चेक या ड्राफ केवल : Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind
के नाम से बनवायें :A/c No.629201058685 (ICICI Bank) Chandni Chowk, Branch

(RTGS/NEFT/IFSC CODE: ICIC0006292)

अपीलः- सदस्यगण, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द